न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जालोर

पीठासीन अधिकारी :- श्री चम्पालाल जीनगर (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 :- 8/2017

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1. टीपू बेवा पूराराम उर्फ पुरीया 2. सकाराम पुत्र पुराराम उर्फ पुरीया जातियान मेघवाल निवासी रायपुरिया तहसील व जिला जालोर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालोर

दरख्वास्त अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम बाबत रेकर्ड दूरस्ती

उपस्थिति :-

1. श्री तेजसिंह बालावत वकील (प्रार्थीगण)
2. सरकारी वकील (अप्रार्थी)

निर्णय

दिनांक :- 12/06/19

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के जरिये वकील श्री तेजसिंह बालावत द्वारा पेश किया। प्रार्थना पत्र का संक्षेप विवरण निम्नानुसार है। प्रार्थीगण ने सरहद मौजा रायपुरिया के पुराने खसरा नं0 352 के वर्तमान खसरा नं0 1397 रकबा 1.45 हे0, खसरा नं0 1398 रकबा 0.05 हे0, खसरा नं0 1403 रकबा 0.03 हे0, खसरा नं0 1404 रकबा 0.07 हे0 व खसरा नं0 1405/1864 रकबा 0.71 हे0 में प्रार्थीगण का खातेदारी हक एवं काबिल ए कास्त है। उक्त रेकर्ड में दूरस्ती कर पुरीया पुत्र गमना के कायम मुकाम (वारिसान) के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकन करवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश कर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 136 का प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण में रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस सुनी गई। तहसीलदार जालोर की रिपोर्ट एवं प्रार्थना पत्रों में वर्णित तथ्यों के आधार पर मौजा सरहद रायपुरिया के वर्तमान खसरा नं0 1397 रकबा 1.45 हे0, खसरा नं0 1398 रकबा 0.05 हे0, खसरा नं0 1403 रकबा 0.03 हे0, खसरा नं0 1404 रकबा 0.07 हे0 व खसरा नं0 1405/1864 रकबा 0.71 हे0 के गत खसरा नं0 352 से बने है। गत खसरा नं0 352 में से 15 बीघा भूमि संवत 2020 से 2023 के खाता संख्या 09 के अनुसार पुरीया वल्द गमना कौम भांबी को ना0स0 80/03.01.1967 के अनुसार आवंटन हुई थी। उक्त खसरा नं0 352 मीन रकबा 15 बीघा किस्म बारानी तृतीय में संवत् 2031 से 2034 के अनुसार तथा ना0सं0 256 के अनुसार पुरीया वल्द गमना को गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया गया। वही संवत् 2035 से 2038, 2044 से 2047, 2039 से 2042 में पुरीया वल्द गमना कौम भांबी सहखातेदार दर्ज है। सेटलमेंट में सेवन से खातेदार पुरीया वल्द गमना कौम भांबी का नाम दर्ज करने से रह गया।

अतः तहसीलदार जालोर की रिपोर्टनुसार पुरीया वल्द गमना के फौत होने के बाद टीपू बेवा पूराराम, सकाराम पुत्र पूराराम का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना प्रथम

12/6/19
उपखण्ड अधिकारी
जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

दृष्टया ही उचित है। जिसे धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत दूरस्त किया जाना उचित व न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा रायपुरिया के पुराने खसरा नं0 352 के वर्तमान खसरा नं0 1397 रकबा 1.45 हे0, खसरा नं0 1398 रकबा 0.05 हे0, खसरा नं0 1403 रकबा 0.03 हे0, खसरा नं0 1404 रकबा 0.07 हे0 व खसरा नं0 1405/1864 रकबा 3.4 हे0 में से रकबा 0.71 हे0 भूमि में पुरीया वल्द गमना के फौत होने के बाद उनके कायम मुकाम टीपू बेवा पूराराम, सकाराम पुत्र पूराराम का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावे। तद्नुसार तहसीलदार जालोर को निर्देश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में दूरस्ती करे।

निर्णय आज दिनांक....12/05/19.......को सरे इजलास सुनाया गया।

(चम्पालाल जीनगर आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
जालोर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Champalal Jeengar
Date: 2019.11.30 15:36:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: